मालगाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम में खामियों को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

- **जनहित याचिका में अदालत को बताया कि देश में चल रही मालगाड़ियों में बीएमबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसे जर्मनी की कंपनी नोर ब्रेक्से सप्लाई करती है। इस ब्रेकिंग सिस्टम में खामियां हैं, जिसके कारण मालगाड़ी की दुर्घटनाएं हो रही हैं**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश में चल रही मालगाड़ियों में लगे बुगी माउटेड ब्रेक सिस्टम में खामियों को लेकर रेलवे बोर्ड, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और मैसर्स नोर ब्रेक्से इंडिया प्रा. लि. सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश हरिसिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रवीण बलवदा और भावना चौधरी बलवदा ने अदालत को बताया कि देश में चल रही मालगाड़ियों में बीएमबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसे जर्मनी की कंपनी नोर ब्रेक्से सप्लाई करती है। यह ब्रेकिंग सिस्टम में खामियां हैं, जिसके कारण मालगाड़ी की दुर्घटनाएं हो रही हैं। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 15 जुलाई, 2022 की अपनी रिपोर्ट में माना की फुल सर्विस ब्रेकिंग के बाद मालगाड़ी 18 से 30 सेकंड में रुकनी चाहिए, जबकि वास्तव में यह 45 से 60 सेकंड में रुक रही है। इसके साथ ही इस कंपनी को भी डी-लिस्ट किया गया था। मालगाड़ियों की दुर्घटनाओं का मामला बीते साल संसद में भी उठाया गया था। याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने भी मालगाडी के ब्रेकिंग सिस्टम की शिकायत की थी। वहीं रेलवे बोर्ड ने नवंबर, 2023 में इसी कंपनी को ब्रेकिंग सिस्टम अपग्रेड करने को कहा। इस पर कंपनी ने ब्रेक में लगने वाले दस इंच के सिलेंडर को बढ़ाकर 11 इंच का कर दिया। इस दौरान इसकी टेस्टिंग भी नहीं की गई। याचिका में बताया गया कि सेफ्टी कमीशन ने ब्रेक ब्लॉक फोर्स 2160 किलोग्राम तक होना बताया, जबकि अपग्रेड के बाद यह 2500 किलोग्राम के ऊपर जा रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना की जा रही है। वहीं मामले में प्रतिस्पर्धा आयोग में भी शिकायत लंबित चल रही है। ऐसे में मालगाड़ियों के दोषपूर्ण ब्रेकिंग सिस्टम को दूर किया जाए और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया

भगवान बिरसा मुंडा की जयन्ती पर शुभकामनाएं दी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तथा जनजातीय गौरव दिवस (15 नवम्बर) की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आदिवासी समुदायों का विशेष स्थान है। भगवान बिरसा मुंडा ने मातृभूमि की रक्षा और प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन व खनिज संपदा के संरक्षण में आदिवासी समाज का बड़ा योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के दौर में आज सभी को आदिवासी समाज की जीवन शैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के सशक्तीकरण व उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे विद्याधर नगर तुलसीपीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा राम कथा सुनने पहुँचे। वहा मुख्यमंत्री ने जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य से आशीर्वाद ग्रहण किया और आरती में शामिल हुए इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे।

शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 6 दिसंबर उस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने वर्ष 2022 की तृतीय शिक्षक भर्ती लेवल-2 के विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी से जांच कर उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश सरिता कुमारी व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि एकलपीठ ने गत 6 दिसंबर को भर्ती में कुछ विवादित प्रश्नों से जुडी याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी गठित कर प्रश्नों का पुन: परीक्षण करने को कहा था। इसके साथ ही अदालत ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने के निर्देश दिए थे। इसे चुनौती देते हुए कहा किया करीब 27 हजार पदों की इस भर्ती में करीब 25 हजार अभ्यर्थी कार्य ग्रहण कर चुके हैं। इसके अलावा एकलपीठ ने खुद के आदेश में भर्ती की मेरिट पर कोई बात नहीं की। उसने चयन बोर्ड की ओर से प्रश्नों के मूल्यांकन की बात को आधार मानकर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम का निर्देश दिया। इसके अलावा अपीलार्थी एकलपीठ के समक्ष पक्षकार नहीं थे। एकलपीठ के आदेश से अपीलार्थियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है।

अभिभाषक संघ के चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश और संघ के संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी कोटा अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव आगामी 13 दिसंबर को नहीं कराने पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और अभिभाषक संघ कोटा, को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश कृपा शंकर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि अभिभाषक संघ के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव होंगे। वहीं हाईकोर्ट ने 24 अगस्त, 2023 को आदेश जारी कर प्रदेश की हर बार एसोसिएशन के चुनाव दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को करने के निर्देश दे रखे हैं। याचिका में बताया गया कि कोटा अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव गत वर्ष दिसंबर माह में हुए थे। ऐसे में संघ के संविधान और अदालती आदेश की पालना में इस साल अन्य बार एसोसिएशनों की तरह कोटा अभिभाषक संघ को अपने चुनाव 13 दिसंबर को कराने थे। इसके बावजूद संघ ने गत 29 जून को आम बैठक में निर्णय लेना बताकर मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ा लिया। यह कार्यकाल बढाने का आधार वकीलों के कल्याण और कोर्ट बिल्डिंग के लिए भूमि आवंटन बताया गया। याचिका में कहा गया कि इस आम बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और कार्यकारिणी का कार्यकाल बढाने का निर्णय संविधान के खिलाफ है। याचिकाकर्ता की ओर से बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को पत्र लिखकर अभिभाषक संघ की मनमानी करने की शिकायत की गई, लेकिन कौंसिल ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में कोटा अभिभाषक संघ को 13 दिसंबर को वार्षिक चुनाव कराने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है।

कुल्हाड़ी से हॉकर की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 महानगर प्रथम ने कुल्हाडी से हत्या कर हॉकर की हत्या करने वाले अभियुक्त रफीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना को लेकर मृतक मन्नू लाल वैष्णव के बेटे रोहित ने 5 सितंबर, 2019 को खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता अखबार बांटने का काम करते थे। वे सुबह घर से निकल कर करीब सात बजे रफीक के घर पहुंचे। इस दौरान उसके पिता की किसी बात को लेकर रफीक से विवाद हो गया। इस पर रफीक ने उसके पिता की गर्दन पर कुल्हाडी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके चलते उसके पिता की मौत हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त का अपने परिवार वालों से झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान मृतक वहां पहुंच गया और रफीक ने गुस्से में आकर उसके ऊपर ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।

7 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की होगी जीत : डॉ राधा मोहन

जयपुर। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा छह नहीं सातों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करा रही है। चौरासी में भी ऐतिहासिक मतदान भाजपा के समर्थन में है और भाजपा चौरासी सहित प्रदेश की सभी सातों सीटों पर विजय श्री प्राप्त कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, ऐसे में मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराता हूं कि भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करा रही है।

गुरूनानक जयन्ती पर शुभकामनाएं

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूनानक जयन्ती (15 नवंबर) पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गुरू नानक देव जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और आडम्बरों के विरूद्ध अलख जगाई तथा सभी को प्रेम और सद्भाव के साथ रहने का मार्ग दिखाया।

मदन राठौड ने दिल्ली में गृह प्रवेश किया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज नई दिल्ली स्थित नए आवास में गृह प्रवेश किया।

सिंधी समाज पुरुषार्थी और मेहनती समाज है : वासुदेव देवनानी

- **देवनानी पहुँचे सिंगापुर, भारतीय प्रवासियों ने किया अभिनन्दन**
- **'महापुरुषों की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत'**

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी गुरुवार को सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर में देवनानी का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मान किया। देवनानी ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को सम्बोधित करते हुए कहा कि संस्कारवान व्यक्ति ही इंसान होता है। ऐसे व्यक्ति में करुणा, दया, प्रेम, इंसानियत, ईमानदारी और निष्ठा होती है। उन्होंने कहा कि केवल जीवन को जीना ही जिंदगी नहीं होनी चाहिए। सफल जिंदगी वहीं है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं।

देवनानी ने कहा कि भावी पीढी को संस्कार सिखाए। भावी पीढियों को संस्कार देने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है। भारतीय सनातन संस्कृति में परिवार व्यवस्था है। परिवार व्यवस्था के आधार संस्कार ही होते हैं। देवनानी ने कहा कि अच्छे परिवार की रचना करें। जहां परिवार के छोटे सदस्य परिवार के बड़े सदस्यों का आदर करें। परिवार में सभी एक-दूसरे का सम्मान करें। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। भारतीय परिवारों में सद्भाव का वातावरण ही उनकी पहचान है। एक व्यक्ति के संकट के समय पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, यह आपसी सदभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढियों को सनातन परम्परा के गुण सिखाकर उन्हें आगे बढने के लिए वातावरण का निर्माण करें।

अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सिंधी समाज पुरुषार्थी समाज है। सिंधी समाज के लोगों ने भारत राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया है। सिंधी समाज के लोगों ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से संसार के विभिन्न देशों में भारत का परचम लहराया है। सिंधी समाज के लोगों ने विदेशों में भी अपनी मेहनत के बल पर पहचान बनाई है। देवनानी ने कहा कि सिंधी भाषा की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। सिन्धी के लगभग 70 प्रतिशत शब्द संस्कृत मूल के हैं।

देवनानी ने कहा कि जब उनके पास राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री का दायित्व था, तब उन्होंने राजस्थान शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रमुखता देते हुए, वीर-वीरागनाओं की कहानियां जुडवायी। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड, महाराजा दाहिरसेन, शहिद हेमू कालाणी, संत कंवरराम, संत टेऊराम जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सैनानियों की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। महापुरुषों का त्याग, बलिदान और उनके द्वारा राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए किये गये कार्य लोगों के लिए मार्ग दर्शन साबित होते है।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने छोटे से जीवनकाल में ऐसे-ऐसे कार्य किये, जो हमारी पीढियों के लिए मार्गदर्शक हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे प्रसिद्ध व बड़ी घटना शिकागो की थी, जहाँ उन्होंने भाषण की शुरुआत से ही वहाँ की पूरी जनता का मन जीत लिया था। देवनानी का सिंगापुर में सिन्धु सेवा संगठन और विवेकानंद सेवा केन्द्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में अभिनन्दन किया गया। सिंगापुर में सिंधी समाज द्वारा स्थापित भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीझूलेलाल के मंदिर में सामूहिक आरती कर देश और प्रदेश की समृद्धि व खुशहाली के लिये कामना की। देवनानी ने मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद लोगों के साथ स्नेह भोज भी किया।

भाजपा की संगठनात्मक बैठक आज

जयपुर। भाजपा सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉ अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि शुक्रवार को सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता अभियान और संगठन पर्व की संगठनात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक सुबह 11 बजे शुरू की जाएगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रदेश टोली सदस्यता अभियान, सभी जिलाध्यक्ष, भाजपा के सभी मोर्चा और विभागों के संयोजक उपस्थित रहेंगे।

श्रद्धांजलि

हमारे प्रिय **क्षितिज शर्मा (टोनू)** का आकस्मिक निधन 12.11.2024 को हो गया। हम सभी परिवारजन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।

श्रद्धावनत- चन्द्रप्रकाश (पिता) सूरजमल पटेल (पडदादा) डा. आनन्दबिहारी, नानगराम, अमृतलाल, कैलाश, राधेश्याम, गिर्राज, कुन्जबिहारी, सत्यनारायण (दादा) कौशल, विमल (ताऊजी) दीपक, राज, राकेश, मुकेश, एवेन्द्र, धनेश्वर, रोहित (चाचा) कुणाल, सौरव, राघव, रुद्राक्ष (भ्राता) एवं समस्त बौपंला (बागडा ब्राह्मण) परिवार (भानपुर कलाँ वाले)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सीनियर मेडिकल ऑफिसर को दी गई तीन वर्षीय वेतन वृद्धि की रिकवरी पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर को दी गई तीन वर्षीय वेतन वृद्धि की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. यश दशोरा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2015 में मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुआ था। वहीं अक्टूबर, 2022 को उसे सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिका में कहा गया कि आरयूएचएस ने अपने अधीन स्थापित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का दो साल का कोर्स निकाला। जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रवेश लेकर गत दिनों यह कोर्स पूरा किया। वहीं इससे पूर्व राज्य सरकार ने 26 जुलाई, 2023 को एक अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर और उससे वरिष्ठ अधिकारी चिकित्सा या सर्जरी की किसी शाखा में मास्टर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा करते हैं तो उन्हें तीन वार्षिक वेतन वृद्धि का दी जाएगी। याचिका में बताया गया कि इस अधिसूचना की पालना में गत 12 सितंबर को याचिकाकर्ता को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया।

वहीं बाद में 25 अक्टूबर को आदेश जारी कर 12 सितंबर के आदेश को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही इस आदेश के तहत दी गई राशि की रिकवरी निकाल दी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नियमानुसार दिया गया था। इसके अलावा उस पर कार्रवाई करने से पूर्व उसे पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है।

नाम परिवर्तन

मैं श्रीमति रीना रानी पत्नी श्री विक्रम यादव, निवासी तह.कोटपूतली। यह कि मेरा पुराना आधार में मेरा नाम रविना देवी दर्ज है। तथा वर्तमान में मेरे संशोधित आधार कार्ड में रीना रानी दर्ज है। यह कि यह दोनों नाम एक ही महिला के है भविष्य में मुझे मेरे वर्तमान संशोधित आधार कार्ड वाले नाम रीना रानी के नाम जाना व पहचाना जावे।

I, Urmila D/o Jaimal Ram R/o 68 RB, Ganganagar, Rajasthan-335051, hereby undertake that I, Urmila want to change my name to Samrat Chaudhary and gender as MALE

I vijendra gurjar S/O army no 2998609N Ex 25 Rajput Regiment Late pukhraj gurjar R/O village udalwara post gardrawa teh. baharawanda dist.dausa that have changed my name from VIJENDRA GURJAR (DOB 18/11/2005) is wrong entered in service record To VIJENDRA SINGH GURJAR (DOB 17/11/2005) vide affidavit dated 13 nov.2024 before district notary baharawanda dausa

I army no 2891392X Ex Hav (ACP NK SUB) kaptan singh S/O gulab singh R/O plot no 133 govind nagar 1st nangaljaisa bohra niwaru road jhotwara jaipur that have changed my daughter name from JOYTI KANWAR SHEKHAWAT is wrong entered in service record To JYOTI KANWAR vide affidavit dated 13 Nov.2024 before district Sub magistrate jaipur city

खोया-पाया

मेरे मकान नं. 67/17 प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। हेमेन्द्र कुमार माथुर, मो. 9413385122

मेरा मकान नं. 192/58, प्रताप नगर, जयपुर का मूल मांग पत्र व जमा रसीद कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें- राज कुमार- 9887230798

मेरा मकान सं. 184/140, प्रताप नगर जयपुर का मूल आवंटन, कब्जा, नोड्यूज, मांग पत्र आदि कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें- सतीश कुमार-9983881180

मकान सं.2जी-21 हाउसिंगबोर्ड नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर के मूलदस्तावेज पजेशन लेटर अलॉटमेंट लेटर व घर के डॉक्यूमेंट कहीं खो गए है जो कि नसीम बानो के नाम पर है। मिलने पर सूचित करें- 8302905900

मेरा प्लाट नम्बर 168, नारायण वाटिका, धावास, अजमेर रोड, जयपुर जिसका श्री सालासर ओवरसील प्रा.लि. के समस्त मूल दस्तावेज अलॉटमेन्ट लैटर, रसीद, एंव साईट प्लान कही खो गये है। मिलने पर सूचित करे। चन्द्र प्रकाश यादव, मो. नं. 98870 15777

मेरा प्लाट नम्बर 169, नारायण वाटिका, धावास, अजमेर रोड, जयपुर जिसका श्री सालासर ओवरसील प्रा.लि. के समस्त मूल दस्तावेज अलॉटमेन्ट लैटर, रसीद, एंव साईट प्लान कही खो गये है। मिलने पर सूचित करे। गायत्री देवी यादव, मो. नं. 98870 15777

मेरे प्लाट नं. एफ-1119, जेडीए स्कीम पाडलीमीना गोविन्दपुरा सांगानेर जयपुर जिसका मूल आवंटन-पत्र और मूल चालान की रसीद कहीं गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें। मदनलाल मो. 9660180798

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्यगण अब्दुल वहीद पुत्र श्री नवाब खान एवं वकीला बानो पत्नी श्री अब्दुल वहीद निवासीगण ई-6/17, व्यास कॉलोनी, नाहरी का नाका, जयपुर का पुत्र अक्षफाक पुत्र श्री अब्दुल वहीद मेरे अभिभाव्यगण के कहे मे नही है मेरे अभिभाव्यगण का कहना नही मानता है एवं मेरे अभिभाव्यगण से लडई-झगडा एवं गाली-गलोच करता है जिस कारण मेरे अभिभाव्यगण ने अपने पुत्र को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियो से बेदखल कर दिया है। अब मेरे अभिभाव्यगण का अपने पुत्र से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है यदि कोई व्यक्ति उससे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाव्यगण किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगे। सूचित रहे।
जयपुर (मोहम्मद सोहेल) छतवेस्ट
दिनांक 14/11/24 मो.-8824478560

कार्यालय उपायुक्त, (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक: एफ.55(वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2024/2022
दिनांक:11/11/2024
सार्वजनिक सूचना भूखण्ड सं. 9 सत्यनगर, झोटवाडा, जयपुर (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री हरी प्रसाद शर्मा के पक्ष में क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर मे श्री सूबेदार भीम सिंह के नाम से नाम दुरूस्कर पत्र जारी कर दिया गया। श्री सूबेदार भीम सिंह की मृत्यु उपरांत पंजीकृत हक्कत्याग पत्र व सिफ्ट डीड के आधार पर आवेदक श्री भवर सिंह पुत्र श्री भीम सिंह ने भूखण्ड सं. 9 सत्यनगर, झोटवाडा, जयपुर (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्यदिवस मे उपायुक्त विकास मे उपायुक्त सस्तावेजकर्ता के कार्यालय मे प्रस्तुत करे। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी।
उपायुक्त विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित आवासीय प्रोजेक्ट "ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट" खसरा नं. 728, 730, 734/1 ग्राम श्री किशनपुरा तहसील सांगानेर जयपुर, राजस्थान जिसका कुल भूखंड क्षेत्र भूमि आवंटन के अनुसार 4598.56 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र 29,884.69 वर्ग मीटर है पर भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पत्र संख्या F1(4)/ (SEIAA)/SEAC&Raj/ Sectt/ Project/Cat-8a (0382)/ 2023-24 दिनांक 03. 09.2024 को प्रदान कर दी गई है। सहमति प्रपत्र की प्रति पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के पास उपलब्ध है।
भव्या ग्रीन बिल्डर्स

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर- 302 005, दूरभाष नं. 0141-2227404
email: me.jaipur@rajasthan.gov.in
विज्ञिप्त सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्व. श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री रामचन्द्रा मीणा निवासी: खतौपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर के पक्ष में खनिज चेजापत्थर का खनन पट्टा संख्या 593/1997 क्षेत्रफल 1.00 हैक्टर निकट ग्राम पीर की झूंरी तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्वीकृत / प्रभावशील है। पट्टाधारी स्व. श्री सीताराम मीणा का देहांत दिनांक 15.01.2019 को हो चुका है और उनके पुत्र श्री रेवड मल मीणा ने मृतक पट्टाधारी स्व. श्री सीताराम मीणा के परिवार में कुल 06 सदस्य (स्वयं पुत्र रेवडमल मीणा, पुत्र राजूराम, पुत्र धन्नालाल, पुत्र विश्राम पुत्री सुनीता, पुत्री राजवंती) होना बताते हुए उक्त वर्णित खनन पट्टा का नामान्तरण, RMMCR 2017 के नियम 76 के तहत स्वयं के नाम कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2024 इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया है। अतः इस संबंध मे कोई आपत्ति/उज्र हो तो वह इस विज्ञिप्त के प्रकाशन तिथि से 15 दिवस मे इस कार्यालय मे अपनी लिखित आपत्ति / उज्र मय दस्तावेज प्रस्तुत करे अन्यथा बाद समयावधि नियमानुसार नामान्तरण आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी, सूचित रहे।
(श्याम कापडी) खनि अभियन्ता, जयपुर

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) दूदू
क्रमांक-LR/24/3380 दिनांक-18.10.24
आम सूचना
जरिये प्रार्थी रमेश पुत्र गोपाल जाति कुम्हार नि.दूदू ग्राम दूदू के खाता सं. 588 ख.न. 2766 रकबा 0.13 है., 2767 रकबा 0.16 है. 2769 रकबा 0.09 है., 2770 रकबा 0.20 है., 2771 रकबा 0.58 है., 2779 रकबा 0.02 है., 2780 रकबा 0.14 है., 2781 रकबा 0.81 है., 2782 रकबा 0.03 है. कुल किता 9 रकबा 1.46 है. में मृतका खातेदार नाथी देवी, पत्नि नानगा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह का अपंजीबद्ध वसीयत दि. 17.11.2022 के आधार पर विरासत के नामान्तकरण की कार्यवाही RLR Act 1956 की धारा 135(2) अन्तर्गत कार्यालय हाजा में प्रस्तुत सं. 8/2024 विचाराधीन है।
खातेदार नार्थी देवी पत्नि नानगा की दि.29/5/2024 को मृत्यु हो चुकी है। हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मुताबिक वसीयत (अनरजिस्टर्ड) दि. 17.11.22 वसीयतग्रहिता रमेश पुत्र गोपाल जाति कुम्हार के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खोलने पर किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/हक अथवा अन्य कोई वसीयत हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में स्वयं अथवा प्लीडर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय समय में प्रस्तुत करें। कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जावेगा। सूचित रहे।
तहसीलदार (भू.अ.) तहसील दूदू (जिला दूदू)

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:4717 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:13.11.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 81/25 (LIG), का आवंटन श्री ओम प्रकाश सैन पुत्र श्री अमर चन्द सैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 28.12.1991 को जारी किया गया था। श्री ओम प्रकाश सैन के पक्ष में उक्त आवास / फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 17.02.2011 को उप पंजीयक, द्वितीय जयपुर में पंजीकृत करवाये गये। श्री ओम प्रकाश सैन द्वारा श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री महेन्द्र जैन को दिनांक 21.03.2011 को उप-पंजीयक, सांगानेर- प्रथम जयपुर मुख्यस्थानामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती मंजू देवी द्वारा मुख्यत्रआम की हैसियत से उक्त आवास को श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री फूल चन्द वर्मा को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 29.04.2011 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री ओम प्रकाश वर्मा द्वारा उक्त आवास को श्रीमती ऋतु माराठिया पत्नी श्री अनिल कुमार वर्मा को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2024 को उप पंजीयक जयपुर दशम् में पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / क्रेती श्रीमती ऋतु माराठिया पत्नी श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपन